

# कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बून्दी

क्रमांक :-

दिनांक :-

## “ तथ्यात्मक प्रतिवेदन ”

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत (CUPL) जिला बून्दी के अन्तर्गत अपग्रेडेशन ऑफ बी.टी. रोड लक्ष्मीपुरा से बून्दी सड़क कि.मी. 0/0 से 10/0 के निर्माण हेतु (1.92 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन बाबत)

उक्त सड़क के सुदृढीकरण की स्वीकृति प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत एफ.2/(5) पी डब्ल्यू/ए एस/2007/2090 21.07.2007 को रूपये 247.52 लाख स्वीकृति जारी हुई थी जिसमें 10.00 किमी में निर्माण कार्य प्रस्तावित था। उक्त सड़क में 1826.55 मी. लम्बाई में 1.92 वन भूमि आने के कारण उसी स्तर पर कार्य रोककर वन संरक्षण अधिनियम के प्रस्ताव तैयार कर 24.06.08 से लखनऊ भिजवाये गये थे । लखनऊ से मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 8बी/राज./06/15/2009/एफसी/529 दिनांक 03.08.2009 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई । जिसकी बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार थी –

प्राप्त सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के तहत वन विभाग में जमा करायी गयी राशि

क्र. सं.	वन विभाग द्वारा मांग पत्र	विभाग द्वारा जमा कराई गई राशि	
1	DFO Bundi No. 13736/01.10.2009 Rs. 22,04,952/-	वृत्त कार्यालय के पत्रांक 1697 / 15.10.09	22,04,952 / -
2	DFO Bundi No. 46/16.03.2012 Rs. 3,47,730/-	इस कार्यालय के पत्रांक 3134 / 24.12.12	3,47,730 / -
3	DFO Bundi No. 13524/06.11.2012 Rs. (4,73,275-3,47,730)=1,25,545/-	इस कार्यालय के पत्रांक 3986 / 21.03.13	1,25,545 / -
4	DFO Bundi No. 12400/17.12.2013 Rs. 2,19,740/-	इस कार्यालय के पत्रांक 3265 / 24.03.14	2,19,740 / -
5	DFO Bundi No. 5469/19.06.2015 Rs. 11,07,361/-	इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2986 दिनांक 10.02.16 स्वीकृति के अनुसार सीधे केम्पा फण्ड खाते में जर्ने वाउचर संख्या 50350 दिनांक 09.12.15 के द्वारा जमा।	11,07,361 / -
<b>Total – 40,05,328/-</b>			<b>40,05,328 / -</b>

7. जिला कलेक्टर बून्दी द्वारा (1) F.8-5(44)राजस्व/964-70 Dt. 13.03.12 1.92 Hac.

वन भूमि के बदले सिवाय चक भूमि का हस्तान्तरण/समायोजन आदेश :-

8. प्राप्त शर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के तहत पालना रिपोर्ट वन विभाग द्वारा अग्रेषित की गई उपवन संरक्षक (के.) भारत सरकार एवं वन मंत्रालय लखनऊ के पत्र क्रमांक 8 वी/राज./06/15/2009/एफ.सी/173 दिनांक 04.06.14 के द्वारा चार आक्षेप की पूर्ति हेतु लिखा गया, जिसके तहत :-

**बिन्दु संख्या 1 :-** राशि रूपये 11,07,361/- के जमा के चालान की प्रति इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2986 दिनांक 10.02.16 से उपवन संरक्षक, बून्दी को भेज दी गई है।

**बिन्दु संख्या 2** :- वनाधिकार अधिनियम के तहत एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2986 दिनांक 10.02.16 से उपवन संरक्षक, बून्दी को भेज दी गई है।

**बिन्दु संख्या 3** :- डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2136 दिनांक 10.11.15 से उपवन संरक्षक, बून्दी को भेज दिये गये हैं।

**बिन्दु संख्या 4** :- प्रभागीय वनाधिकार का इस आशय का प्रमाण पत्र कि वनाधिकार अधिनियम 1980 का उल्लंघन तो नहीं किया गया है :- यह बिन्दु वन विभाग से संबंधित है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2912 दिनांक 22.12.2016 द्वारा उक्त सड़क का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

नवीनतम स्थिति :

विधिवत स्वीकृति जारी करवाने हेतु समस्त कार्यवाही इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2912 दिनांक 22.12.16 द्वारा उप वन संरक्षक बून्दी को निवेदन किया गया था जो वन विभाग के स्तर पर ही लम्बित हैं। उप वन संरक्षक बून्दी द्वारा अपने प्रासंगिक पत्र क्रमांक 7197 दिनांक 10.07.2018 के द्वारा इस कार्यालय को लिखा गया है कि विधिवत स्वीकृति संबंधी शेष कार्यवाही उच्च कार्यालय स्तर से की जानी है।

(राजेन्द्र टण्डन)  
अधिशायी अभियन्ता  
सा0नि0वि0खण्ड बून्दी